

न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

प्र०स० 110/19 ता०रजु. 19.11.19 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 15/11/19

सरकार

बनाम

शंकराज पुत्र इम्म

पत्रावली आज पेश हुई। पटवारी हल्का कपुरा भलुका ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्राम कपुरा भलुका के खसरा नम्बर 908/1389 रकबा 0.16 हैक्ट. कित्त भूमि कजंड पर सम्वत 2076 में श्री शंकराज पुत्र इम्म शंकराज कपुरा तह० बयाना ने 0.16 है० अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण 91 एलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पत्रावली तलब किया गया। जो नोटिस के सन्दर्भ में गैर सायल द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया जो पत्रावली पत्रावली किया गया। गैर सायल द्वारा अपने जवाब में स्वयं का अतिक्रमण नहीं होना अंकित करते हुये पुनः जांच कराने का प्रार्थना की है। प्रकरण में भू.अ.निरी. से पुनः जांच कराई गई। भू.अ.निरी. द्वारा अपनी पुनः जांच दिनांक 13.01.2020 में अतिक्रमी का अतिक्रमण होना अंकित किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जवाब भू.अ.निरी. की जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है। कि अप्रार्थी के न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से वेदखल करना आवश्यक में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 908/1389 रकबा 0.16 हैक्ट. वाके ग्राम कपुरा भलुका से वेदखल किया जाता 0.64 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 324 रूपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की कायमी टी.आर.ए. हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली खाड़ी फरसल को कजंराज लेकर फार्द नीलानी/ कज्जा/ वेदखली बायत हल्का पटवारी/ गिरदावर को अपदेश जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार हो। वाद तकमील नम्बर से काम हो। अतिक्रमण उन्मुख हो। अतिक्रमण दिनांक को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में पेश किया जावे।

न्यायालय
बयाना